

प्रेस-विज्ञप्तिथाना देवगाँव**अवैध तमंचा व अवैध तमंचा बनाने वाले उपकरण के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

आज दिनांक 28.11.2023 को व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह उ0नि0 मुरारी मिश्रा मय हमराह थाना देवगाँव आजमगढ़ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान गोसाईंज बाजार में मौजूद थे कि मुखबिर खास ने सूचना दिया कि ग्राम सालेपुर स्थित पोखरे के पास 02 व्यक्ति अवैध असलहा कारतूस व अवैध तमंचा बनाने वाले उपकरण के साथ मौजूद है, इस सूचना पर व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह उ0नि0 मुरारी मिश्रा मय हमराह द्वारा अभियुक्तो 1. विकास यादव पुत्र लोकनाथ यादव साकिन फैजुल्लापुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़, 2. पिन्टू उर्फ जितेन्द्र पुत्र केदार यादव निवासी फैजुल्लाहपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ को 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर तथा अर्धनिर्मित तमंचा 12 बोर, 01 लोहे का ठिहा, 04 लोहे के नाल के टूकड़े, 01 लोहे की रेती, 01 जमूरा(सड़सी), 01 लोहे की छेनी, 01 हुआ हथौड़ी, 01 पिलाश, 01 पेंचकस, 02 लोहे की चादर, 05 लोहे की स्प्रिंग, 12 लोहे की रिपिट, 01 लोहे का हेक्सा ब्लेड, 01 लोहे की गोल रेती, 01 लोहे की छेद करने वाली सुम्ही (राड), 01 लोहे की फुकनी तथा 04 मोमबत्ती व 02 माचिस की डिब्बी, व 02 मोबाइल फोन आदि के साथ समय करीब 03.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 553/2023 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

➡ अभियुक्तो द्वारा मोबाइल फोन से विभिन्न मो0 नं0 पर असलहो की फोटो भेजी गयी है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 553/2023 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त (दोनों के विरुद्ध)

बरामदगी- 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर तथा अर्धनिर्मित तमंचा 12 बोर, 01 लोहे का ठिहा, 04 लोहे के नाल के टूकड़े, 01 लोहे की रेती, 01 जमूरा(सड़सी), 01 लोहे की छेनी, 01 हुआ हथौड़ी, 01 पिलाश, 01 पेंचकस, 02 लोहे की चादर, 05 लोहे की स्प्रिंग, 12 लोहे की रिपिट, 01 लोहे का हेक्सा ब्लेड, 01 लोहे की गोल रेती, 01 लोहे की छेद करने वाली सुम्ही (राड), 01 लोहे की फुकनी तथा 04 मोमबत्ती व 02 माचिस की डिब्बी, व 02 मोबाइल फोन

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता-

1. विकास यादव पुत्र लोकनाथ यादव साकिन फैजुल्लापुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
2. पिन्टू उर्फ जितेन्द्र पुत्र केदार यादव निवासी फैजुल्लाहपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह उ0नि0 मुरारी मिश्रा मय हमराह थाना देवगाँव, आजमगढ़।

थाना जहानागंजकिशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 22.11.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्त आलोक उर्फ गोलू पुत्र टिल्लूराम राम निवासी दौलताबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने वादिनी को घर पर अकेला पाकर छेड़खानी कर मारापीटा तथा परिजनों को बताने के लिये जान से मारने की धमकी दिया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 517/23 धारा 354/354 (क) 323/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम 1. आलोक उर्फ गोलू पुत्र टिल्लूराम राम निवासी दौलताबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 उमाकान्त त्रिपाठी के द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 28.11.2023 को उ0नि0 उमाकान्त त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आलोक उर्फ गोलू पुत्र टिल्लूराम राम निवासी दौलताबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को उसके घर दौलताबाद से समय करीब 12.40 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 517/23 धारा 354/323/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- आलोक उर्फ गोलू पुत्र टिल्लूराम राम निवासी दौलताबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

- 1- उ0नि0 उमाकान्त त्रिपाठी, मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़।